

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल उत्तर बैतूल में प्रस्तावित रकबा 97.143 हे. वन/राजस्व वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य के उपयोग हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पायाखेडा जिला बैतूल को निम्नलिखित शर्तों पर वनभूमि उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है:- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू होने के बाद भी भूमिगत खनन कार्य करने के कारण प्रकरण में हुए उत्खनन के फलस्वरूप दाण्डिक वृक्षारोपण एवं दाण्डिक एन.पी.व्ही. की शर्त अधिशोषित की जाय।
----	---	----	---

तिथि: 18.09.2017
स्थान: भोपाल

SM
18/9/17

(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of Forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal